

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

चौदासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 129/2010

1. सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

-- वादी

--:: बनाम ::--

1. हरभगवान पुत्र हजारीलाल जाति अग्रवाल साकिन पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :- 07.06.2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 7 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5, 6/1, 7/2, 8/1, की कुल 1.645 हैक्टर मय खाला भूमि खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न किया जाकर मौके पर प्लाट काटकर सड़के आदि बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा कुलविन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 50 आर. बी. तहसील पदमपुर को विक्रय कर दी गई है अतः कुलविन्द्रसिंह को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

कुलविन्द्रसिंह द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि जरिये इकरारनामा बैय फाईनल प्रार्थी उत्तरदाता द्वारा खरीदी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा खरिददार होने की हैसियत से सम्परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण

विचाराधीन है इसलिये समान्तर कार्यवाही द्वारा 177 नहीं की जा सकती है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 9 जैड़ में आयोजित लोक अदालत के दौरान विवादीत आराजी के सम्बंध में हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विवादित आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया के प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत आराजी पर मौके पर प्लाट काटकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त विवादीत आराजी के सन्दर्भ में भू. रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत किया गया है।

अतः विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 7 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5, 6/1, 7/2, 8/1 की कुल 1.645 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिनांक 07.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 9 जैड़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।



(यशपाल सिंह जी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर